International Journal of Home Science 2020; 6(1): 116-118

International Journal of Home Science

ISSN: 2395-7476
IJHS 2020; 6(1): 116-118
© 2020 IJHS
www.homesciencejournal.com
Received: 29-11-2019
Accepted: 27-12-2019

डॉ० डेजी कुमारी
एम०ए०य पी.एच०डी० गृह विज्ञान
भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय,
मधेपुरा, बिहार, भारत

Corresponding Author:
डॉ० डेजी कुमारी
एम०ए०य पी.एच०डी० गृह विज्ञान
भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय,
मधेपुरा, बिहार, भारत

महिला विकास योजना, नीति एवं क्रियान्वयन

डॉ० डेजी कुमारी

सारांश
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से, भारत ने महिलाओं की समानता को प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के संगठनों और संरचनाओं के साथ लगातार प्रयोग करने की स्वतंत्रता का प्रयास किया। महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण महिला के विकास की अवधारणा सामाजिक न्याय और समानता के लिए महिलाओं के संघर्षो से जुड़ी है। परिणाम स्वरूप महिलाओं की विकास नीतियों में जबरदस्त बदलाव आया है। यहां तक कि राज्य की नीतियां भी अधिक महिला समर्थक बन गई है।

कुट शब्द: महिला कल्याण, पंचवर्षीय योजना, सामाजिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण,

प्रस्तावना
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के वर्षों में भारत ने न्यायसंगतता और गरीबी उम्मूलन के लिए चिंताओं में वृद्धि देखी। महिलाओं के विकास के लिए चिंता भारत की स्वतंत्रता और संविधान को अपनाने के साथ शुरू हुई। भारत का संविधान महिलाओं और पुरूषों के लिए अवसर और स्थिति की समानता की गारंटी देता है। स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत सरकार ने संवैधानिक और कानूनी सुधारों के माध्यम से एक लोकतांत्रिक न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज बनाने की योजना बनाई। इन कदमों का असर महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास पर भी पड़ा। इसमें 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन और मातृत्व राहत संलग्न है। 1951 में पारंभ हुए पंचवर्षीय योजनाओं में महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है।

अध्ययन का औचित्य :– भारत में महिलाओं पर सरकारी योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन।

क्रियाविधि : अध्ययन मुख्य रूप से विभिन्न रूपों में प्रकाशित माध्यमिक आँकड़ो पर आधारित है। महिलाओं के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में कार्यक्रम शुरू किए गए।

01. **पहली पंचवर्षीय योजना (1951–1956)**– महिला कल्याण के लिए सामाजिक और महिला कल्याण विभाग के तहत 1953 में केंद्रिय कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई जिससे महिलाओं को महिला मंडल या क्लब में संगठित करने की आवश्यकता को मान्यता दी गई।

⇒ महिलाओं और बच्चों में उचित स्वास्थ्य, पोषण और प्राथमिक शिक्षा के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया।

⇒ उच्च शिशु और मातृ मृत्युदर की समस्या पर ध्यान दिया गया।

02. **दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956–1961) :–** सामाजिक नैतिक और देखभाल संबंधी सेवाओं पर ध्यान देना चाहिए। महिला श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण की सुविधाएँ, समान काम के लिए समान वेतन, हानिकारक कार्यों से बचाव और बच्चों के लिए मातृत्व लाभ आदि पर ध्यान देना चाहिए।

03. **तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961–1966)** :– इसमें महिलाओं की शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी गई। इसने वयस्क महिलाओं के लिए संधनित स्कूल पाठ्यक्रम जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की।

04. **चौथी पंचवर्षीय योजना (1969–1974) :–** महिलाओं के कल्याण को बढ़ाने के उपाय से महिला और पुरूष समान रूप से लाभान्वित हुए। सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम (1973) से सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए जल रोड प्रबंधन दृष्टिकोण के माध्यम से भूमि,जल और मानव संसाधनों के इष्टतम उपयोग का लक्ष्य रखा गया। कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास, भवनों के निर्माण के लिए एक केंन्द्रिय योजना (1972) शुरू हुई। महिलाओं की शिक्षा पर जोर और

लड़कियों के लिएमुफ्त पाठ्य पुस्तक और छात्रवृत्ति जैसे प्रोत्साहन प्रदान किए।

05. **पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974–1979)** :– इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर केंद्रित विकासात्मक सेवाओं के साथ कल्याण का एक ही कारण था। महिलाओं के कार्यक्रम, बाल–कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक कल्याण मंत्रालय के तहत महिला कल्याण एवं विकास ब्यूरो की स्थापना हुई।

06. **छठी पंचवर्षीय योजना (1980–85)** :– महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर तीन आयामी जोड़ के साथ एक बहु विषयक दृष्टिकोण को अपनाया गया।

07. **सातवीं पंचवर्षीय योजना (1986–1990) :–** इसमें महिलाओं के लिए रोजगार जागरूकता पर जोर दिया गया परिणाम स्वरूप विभिन्न राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार के तत्त्वाधान में महिला निगम की स्थापना शुरू की।

08. **आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–97)** :–महिलाओं को विकास प्रक्रिया में समान भागीदार और भागीदार के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने पर जोर दिया गया। इस योजना का दृष्टिकोण महिलाओं के विकास से सशक्ति की एक निश्चत पारी है।

09. **नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002)** :–इसमें महिलाओं को सामाजिक परिवर्तन और विकास के एजेंट के रूप में महिलाओं और सामाजिक रूप से वंचित समूह, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का सशक्तिकरण। सार्वजनिक क्षेत्रों में महिलाओं के 30 प्रतिशत प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने का प्रस्ताव रखा गया।

10. **दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007)** :– इसमें महिलाओं तक सूचना संसाधनों और संवाओं तक पहुँच को सुनिश्चित करने और लैंगिक समानता के लक्ष्य पर जोर दिया गया।

11. **ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012)** :– महिलाओं के लैंगिक सशक्तिकरण और समानता पर विशेष जोर दिया गया

12. **बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017)** :–इसमें महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सशक्त करने पर जोर दिया गया। शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करने, कुपोषण, रक्ताल्पता, संक्रामक और गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम पर जोर दिया गया।

13. **तेरहवीं पंचवर्षीय योजना (2017–22)** :–इसका लक्ष्य ग्रामीण आबादी के विकास के साथ–साथ पर्यावरण सुरक्षा और सतत विकास है।

परिणाम एवं विश्लेषण :– इन सभी पंचवर्षीय योजनाओं का ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने महिलाओं के लिए अलग से भी कुछ योजनाएं बनाई जिससे उनके विकास में काफी सहयोग मिला। जैसे–

महिला कल्याणकारी कार्यक्रम :–

01. **ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम :–** गावों में महिलाओं के विकास के लिए प्रशिक्षित और संगठित करना। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक–आर्थिक कार्यक्रमों (खादी और ग्रामोद्योग के रूप में) से आर्थिक संकट को दूर करने लिए तीन प्रांगण का गठन किया गया।

02. **शहरी क्षेत्रों में कार्यक्रम** :– कल्याण विस्तार परियोजनाओं के अलावा कामकाजी महिला छात्रावास की योजना।

कल्याणकारी कार्यक्रमों का सरकारी प्रशासन :–

राज्य समाज कल्याण बोर्ड 1954 में स्थापित किया गया था। तीन एजेंसियां अर्थात् महिला कल्याण विभाग, राज्य समाज कल्याण बोर्ड और सामुदायिक विकास कार्यक्रम महिलाकर्मी को 1961 में महिला कल्याण के लिए एक निदेशालय में एकीकृत किया गया। भारत के विशेष पोषण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए पोषण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर एक जिला महिला कल्याण पदाधिकारी को जिले के विभागीय कार्यक्रमों का प्रभारी बनाया गया।

महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण :–

महिलाओं की आर्थिक स्थिति को समाज के विकास का संकेत माना जाता है।

- अर्थव्यवस्था महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है जिसमें रोजगार तक पहुँच उचित काम करने की स्थिति और आर्थिक संसाधनों का नियंत्रण शामिल है।
- यह संसाधनों रोजगार बाजार और व्यापार के लिए महिलाओं की समान पहुँच की सुविधा प्रदान करता है।
- यह महिलाओं की आर्थिक क्षमता और वाणिज्यिक नेटवर्क मजबूत बनाता है।

सामाजिक सशक्तिकरण :– किसी भी देश की आर्थिक प्रगति के लिए महिलाओं के सामाजिक विकास का महत्त्वपूर्ण योगदान है। महिलाओं की सामाजिक निम्नतम स्थिति के लिए परंपरा, मीडिया, अन्य सामाजिक राजनीतिक संस्थानों द्वारा प्रबल किए गए पितृसत्तात्मक मूल्यों की प्रमुख भुमिका है।

⇒ **ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास (DWCRA) :–** यह एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना प्त्क्च् की एक उपयोजना है जो गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण परिवारों की महिला सदस्यों पर ध्यान केन्द्रित करती है, ताकि उन्हें स्थायी आधार पर आय सृजन और स्वरोजगार के लिए मार्गप्रदान करने की दृष्टि से हो ;क्ॅब्।द्ध कार्यक्रम के अंतर्गत प्री–स्कूल के बच्चों के लिए पोर्टेबल पालने, खिलौने, चित्रमय किताबें आदि की खरीद के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं।

⇒ **महिला और बाल–विकास मंत्रालय की भूमिका** :–

इसमें महिलाओं के कल्याण विकास और सशक्तिकरण के लिए नोडल एजेंसियों के द्वारा सरकार लिंग बजट प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, महिलाओं की स्थिति और उनके अधिकारों की निगरानी करती है। इन सभी कार्यक्रमों के अलावा कुछ कार्यक्रम नीचे दी गई तालिका में हैं।

तालिका–1

01. महिलाओं के लिए विभिन्न कानून एवं अधिनियम फैक्टरी एक्ट (1948) :– वृक्षारोपन श्रम अधिनियम (1951), खान अधिनियम (1952) :– खतरनाक रोजगार के खिलाफ काम के घंटे प्रतिबंधित। रात के समय के रोजगार और डबल पारियों पर प्रतिबंध लगाने का काम हुआ।
02. हिंदु विवाह अधिनियम (1955) :– एकरूपता विवाह और तलाक का अधिकार
03. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (1956) :– सास और बच्चों के साथ पति की संपत्ति का बराबर हिस्सा।

04. दहेज निषेध अधिनियम (1961) :– दहेज लेने और देने पर रोक
05. बाल विवाह निरोधक अधिनियम (1976) :– लड़की की न्यूनतम विवाह उम्र 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष।
06. समान पारिश्रमिक अधिनियम (1976) :– काम पर पुरूषों और महिलाओं को समान पारिश्रमिक प्रदान करना।
07. मातृत्व लाभ अधिनियम (1961) :– मातृत्व अवकाश के 135 दिनों तक पूर्ण वेतन के साथ महिलाओं की बरखास्तगी पर प्रतिबंध लगाना।
08. कार्यस्थल अधिनियम (2007) :– यौन–उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना।

तालिका –02

घरेलु हिंसा अधिनियम–2006 में लागू हुआ।

⇒ **राष्ट्रीय महिला आयोग (1991) :–** महिलाओं के हितों के हिमायती के रूप में कार्य करने के लिए इसकी संबैधानिक स्थापना हुई।

⇒ किशोरी शक्ति योजना–11 से 18 वर्ष की आयु में किशोरियों के आत्मविकास, पोषण, स्वास्थ्य की स्थिति साक्षरता और संख्यात्मक कौशल, व्यावसायिक कौशल को निखारना।

⇒ **उज्जवला योजना :–** यह एक व्यापक योजना है, तस्करी से पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास, पुनर्निवेश और प्रत्यावर्तन के लिए 04 दिसंबर 2007 को शुरू किया गया।

निष्कर्ष :– आजादी के तुरंत बाद भारत सरकार को ये ज्ञात हुआ कि महिलाओं के विकास के बिना देश का विकास असंभव है। इसके कारण भारत सरकार के महिला कल्याण के कई योजनाएँ, कई अधिनियम तैयार किए परंतु अभी भी देश में महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं हुई है। इसके प्रमुख कारण योजनाओं के क्रियान्वयन में समस्या, महिलाओं के बीच अशिक्षा, सुचनाओं की कम पहुँच है। इससे बचने के लिए शिक्षा का प्रसार सरकारी सुचनाओं के आदान–प्रदान की उचित व्यवस्था साथ हीं साथ योजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर देना चाहिए।

संदर्भ सुची

1. India, Planning Commission, "Five year Plans," New Delhi 2020.
2. www.wcd.nic.in/empwoment.htm
3. India, statistic on women 291.
4. Goneshan P. and Suriyan, K. "Social Regislation and women Empowerment", in Dr. C. Paramasivan," women Empowerment: Issue and challoanges," Regal Pub. New Delhi 2012, 131.
5. Central social welfare Board, Annual Report (2018-19)
6. India, Stastics on Women 295
7. Gopalan Sarala, " Towards Equility: The unfiished Agenda, status of women in India 2001," The National Commission for women, GoI, 2001 24.
8. Somya Banerjee, National Policy for women: with scheme and guidelines', Arise Pub. New Delhi 2009, 6p.